प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.01.2025

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.03.2024 को थाना वेवसिटी पर वादी द्वारा दी गई तहरीर गई कि अभियुक्त 1. सौरभ कुमार गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता निवासी शिवपुरी गली नं0-12 गाजियाबाद 2. हितेश कुमार पुत्र रामपाल निवासी गली नं0-14 घूकना गाजियाबाद, 3. चन्द्रपाल पुत्र भगवत प्रसाद 4. प्रोजेक्ट मैनेजर अश्वनी कुमार 5. परचेज मैनेजर सुशान्त जयपुरिया ग्रीन व अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधडी कर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर षडयन्त्र करके वादी के नाम से अभियुक्त सौरभ कुमार गुप्ता उपरोक्त द्वारा वादी का फर्जी दामाद बनकर वादी का आधार कार्ड व पैनकार्ड लगाकर वादी की पैतृक कृषि भूमि 2540 मि0 व 2601 मि0 को तहसील गाजियाबाद में बही संख्या- 1, जिल्द संख्या 10640 के पृष्ठ 99 से 122 तक क्रमांक 13840 पर दिनांक 22.12.2023 पर पंजीकृत कराकर अपने नाम गिफ्टडीड करा लेना। घटना पुरानी होने के कारण प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेवसिटी पर धारा-420/467/468/471/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.01.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सौरभ गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता हाल निवासी शिवपुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद मूल निवासी मौहल्ला प्रगति विहार शास्त्रीनगर चन्दौसी जनपद सम्भल, उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ वादी का फर्जी दामाद बनकर वादी का आधार कार्ड व पैनकार्ड एवं फर्जी दस्तावेज लगाकर वादी की पैतृक कृषि भूमि 2540 मि0 व 2601 मि0 को तहसील गाजियाबाद में बही संख्या- 1, जिल्द संख्या 10640 के पृष्ठ 99 से 122 तक क्रमांक 13840 पर दिनांक 22.12.2023 पर पंजीकृत कराकर अपने नाम गिफ्टडीड बनवा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ गुप्ता पुत्र राजेन्द्र गुप्ता हाल निवासी शिवपुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद मूल निवासी मौहल्ला प्रगति विहार शास्त्रीनगर चन्दौसी जनपद सम्भल, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेसिटी पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.08.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सागर द्वारा वादी व वादी के पुत्र के साथ मारपीट कर गंभी चोट पहुंचाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 115(2)/352/351(2)/118(1) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 14.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा लोकल मैनुअल ईनपुट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछि अभियुक्त सागर कुमार पुत्र लोकेन्द्र निवासी ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के पीछे अमर विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष व जौहरी मैट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादी व वादी के पुत्र के साथ मारपीट हो गयी थी जिसमें वादी व वादी के पुत्र को गंभीर चोट आयी थ
।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सागर कुमार पुत्र लोकेन्द्र निवासी ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के पीछे अमर विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का वाँछित / पुरूस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 15 लाख रूपये का माल बरामद

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा जिओ व एयरटेल कम्पनी के मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी करने वाले गिरोह के 05 सदस्यों को दिनाँक-22/12/2024 को थाना वेवसिटी गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जिनके कब्जे से भारी मात्रा में आर0आर0यू0, बी0बी0यू0 व अन्य उपकरण व चोरी करने मे प्रयुक्त गाडियाँ बरामद हुई थी। यह गिरोह गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब व मध्यप्रदेश में जिओ व एयरटेल कम्पनी के मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी कर उसे भारी दामों मे विदेशों में बेचते थे।

दिनाँक-14/01/2025 को उक्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य तथा थाना वेव सिटी से वाँछित / पुरूस्कार घोषित शातिर अभियुक्त राहुल को थाना क्षेत्र कुडी भगतासनी जोधपुर पश्चिम राजस्थान से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्त से मोबाइल टावरों से चोरी 02 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद हुई है। जिनकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर डी0सी0पी0 ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा 25,000 रूपये का पुरूस्कार पूर्व से घोषित है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त राहुल ने बताया कि उसने इण्टर करने के बाद पढाई छोड दी और इलैक्ट्रिक वायर फिटिंग का काम सीख कर ठेकेदार के साथ नवनिर्मित मकानों, मॉल, बिल्डिंगो में बिजली फिटिंग का काम करने लगा। काम के दौरान ही नन्दग्राम गाजियाबाद क्षेत्र मे राहुल की मुलाकात गोल्डी उर्फ फरहान से हुई जिसने उसे मोबाइल टावरों के आर0आऱ0यू0, बी0बी0यू0 व अन्य उपकरणों के बारे बताया कि इन उपकरणों को चोरी करके बेचने में काफी मुनाफा होता है। गोल्डी उर्फ फरहान ने राहुल को साहिल, कय्यूम, कासिम, जाकिर, जावेद व अनस से मिलवाया जो मोबाइल टावरों से आर0आर0यू0 व अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की चोरी करते थे। गोल्डी उर्फ फरहान व कासिम गाडी किराये पर लाते थे और गाडी से ये लोग पूर्व से रैकी किये हुए मोबाइल टावर पर जाते थे, राहुल इलैक्ट्रिक का काम जानता था इसीलिए इसको अपने गिरोह मे मिलाया था, राहुल अपने साथियों के साथ मोबाइल टावरों पर चढकर हाईड्रोलिक कटर से आर0आर0यू0 के केबिलों को काटकर आर0आर0यू0 व बी0बी0यू0 उतारकर चोरी करने लगा। पूछने पर बताया पिछले कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बजारी में काफी माँग चल रही है, मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है। चोरी का माल लेकर उसे सुरक्षित तरीके से इरशाद व वसीम को देते थे जिसमें एक आर0आर0यू0 की चोरी में राहुल को 10-15 हजार रू0 का फायदा होता था।

राहुल ने यह भी बताया कि मोबाइल टावरों से आर0आर0यू0, बी0बी0यू0, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को चोरी करने से लेकर देश से बाहर भेजने तक इनका एक संगठित गिरोह है इनके गिरोह में इसके अलावा शाहरूख मलिक, वसीम मलिक, नईम मलिक, फईम मलिक, अनवर मलिक, अनस, साहिल मलिक, कय्यूम, गोल्डी उर्फ फरहान, जावेद, जाकिर, कासिम, हाजी जावेद,

खालिद उर्फ मुल्लाव इरशाद गिरोह के सक्रिय सदस्य है । हमारा गिरोह पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली एन0सी0आर0 व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करता है ।

पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। अब तक क्राइम ब्रान्च द्वारा मोबाइल टावरो से चोरी करने वाले गैंगो के करीब 46 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में मोबाइल टावरों के उपकरणों की बरामदगी की जी चुकी है। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर रोक लगेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राहुल कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण –

मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-02 अदद

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राहुल के विरूद्ध गाजियाबाद में 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना वेव सिटी पुलिस टीम